न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/86

मुकेश आयु 42 वर्ष आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कालूलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. पप्पू लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शिवनारायण नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री वीरेन्द्र राठौर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 417/287 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 02 के शामलाती खाते की भूमि है । वादी उक्त भूमि पर कय करने के पश्चात् से ही काबिज चला आ रहा है । प्रतिवादी काफी शातिर व्यक्ति है तथा जानबूझकर प्रतिवादी कम 01 की उक्त आराजी में से होकर रास्ता कायम करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार

नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी के हिस्से एवं कब्जे की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 01 वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 417/287 रकबा 0.66 हैक्टर में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खरिज करने का कथन कया कि ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को वादी के खाते व कब्जे की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 01 जबरन वादी के कब्जे की भूमि में होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम करना चाहता है जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद कोराना महामारी के कारण लॉक डाउन लग गया था । इसलिए अपीलान्ट समय पर अपील पेश नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया था कि ग्राम बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी में वादी एवं प्रतिवादी कम 02 के शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 417/287 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि स्थिति है जो वादी के कब्जे काश्त की है । प्रतिवादी कम 01 जबरन वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत व मजाहमत करता है जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को वादी के खाते व कब्जे की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत

करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 01 जबरन वादी के कब्जे की भूमि में होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम करना चाहता है जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है । तनकी संख्या 03 को रेस्पोडेन्ट कम 1 को रास्ते बाबत् सिद्ध करना था लेकिन उसकी ओर से उक्त सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से उक्त विवाद बिन्दु रेस्पोडेन्ट कम 1 के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय ने तय किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 निरस्त फरमाया जावे तथ वाद वादी डिक्री किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2018 पेज 117 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 का रास्ता काफी पुराना है जिसको वादी द्वारा बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट कम 01 को ग्राम पंचायत देवलीखुर्द द्वारा दिनांक 20.07.2011 को मौके पर सरपंच रामकरण, हल्का पटवारी श्री श्यामसुन्दर पोरवाल, ग्राम पंचायत सचिव देवलीखुर्द पंच गजानन्द, किशनलाल गुर्जर, सुंरतराम एवं रामगोपाल की मौजूदगी में मौका देखकर रास्ता दिया गया था । रेस्पोडेन्ट कम 01 को रास्ता दिये जाने बाबत् अपीलान्ट ने किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अपीलान्ट वाद की आड लेकर रेस्पोडेन्ट कम 01 को दिये गये रास्ते को बन्द करना चाहता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बिशन्याखेडी की आराजी 417/287 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2, मुकेश कुमार पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2 के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि है ग्राम पंचायत देवलीखुर्द द्वारा दिनांक 20.07.2011 को मौके पर सरपंच रामकरण, हल्का पटवारी श्री श्यामसुन्दर पोरवाल, ग्राम पंचायत सचिव देवलीखुर्द पंच गजानन्द, किशनलाल गुर्जर, सुरतराम एवं रामगोपाल की मौजूदगी में मौका देखकर वादग्रस्त आराजी में से रास्ता दिया गया था । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो । वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 02 का है । रेस्पोडेन्ट कम 02 के द्वारा परीक्षण न्यायालय में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था ।

14. परीक्षण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने विद्वान् अभिभाषक ने स्वयं कथन किया था कि रास्ते का प्रार्थना पत्र लम्बित है । अपील के बिन्दु संख्या 02 में कथन किया है कि **"रेस्पोडेन्ट कम 01 मेड पर होकर अपनी आराजी को काश्त करता रहा है लेकिन जबरन मेड से हटकर 20 फिट अपीलान्ट के खाते की भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहता है ।"** उपर्युक्त स्थिति में यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रास्ते सम्बन्धी विवाद है तथा रेस्पोडेन्ट मेड पर होकर अपनी आराजी काश्त कर रहा है । परीक्षण न्यायालय ने तनकी नम्बर 02 के विवेचन में उल्लेखित किया है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वादी की भूमि पर मदाखलत मजाहमत की हो ऐसा प्रमाणित नहीं है तथा साथ वादी की भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिक्रमण की कोई धमकी दिया जाना भी प्रमणित नहीं है । वादी अपीलान्ट अपने वाद को सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि उनके खाते की आराजी पर रेस्पोडेन्ट द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी दी हो या वे उक्त भूमि पर कब्जा कर वादी अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा हों । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई नवीन दस्तावेज/तथ्य पेश नहीं किया है जिससे तनकी नं0 02 उनके पक्ष में तय होना पायी जावे । इस प्रकार अपीलान्ट के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना उचित नहीं है ।

15. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकियात कायम की थी जिन पर परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/86

मुकेश आयु 42 वर्ष आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कालूलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. पप्पू लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 24/दावा/2013

मुकेश आयु 42 वर्ष आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———वादी

बनाम

1. कालूलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. पप्पू लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री शिवनारायण नागर एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अभिभाषक श्री वीरेन्द्र राठौर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा